क्रम-संख्या—800 (ख)

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्सड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 4,—खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 2 नवम्बर, 1985

कार्तिक 11, 1907 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

नगर विकास अनुभाग–5

संख्या 3658/11–5—1985–68-डी०ए०-76

लखनऊ, 2 नवम्बर, 1985

अधिसूचना

प० आ०—799

चूंकि राज्य सरकार की राय में उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले के विशेष महत्व के निम्नलिखित क्षेत्र का सुनियोजित रूप से विकास किये जाने की आवश्यकता है;

अतएव अब, उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश 1985 (उ०प्र० अध्यादेश सं० 15, सन् 1985) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित क्षेत्र इस अध्यादेश के प्रयोजनार्थ विशेष विकास क्षेत्र होगा :—

शक्ति नगर विशेष विकास क्षेत्र

मिर्जापुर जिले के दुद्धी तहसील के अन्तर्गत दुद्धी, म्योर पुर तथा बमनी विकास खंडों के अन्तर्गत आने वाला समस्त क्षेत्र और रावर्टसगंज तहसील में सोन नदी के दक्षिण रिहन्द तथा कनहर नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र जिसमें कैन्टोनमेन्ट क्षेत्र, नाविक, सैनिक या वायुसेना के किसी प्राधिकारी के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या उसके द्वारा अधिग्रहीत या पट्टे पर ली गयी भूमि सम्मिलित नहीं है।

आज्ञा से,
कमल पाण्डे,
सचिव।

Scanned by CamScanner

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3658/XI-5--1985-68-D.A.-76, dated November 2, 1985 :

No. 3658/XI-5—1985-68-D.A.-76

Dated Lucknow, Novemebr 2, 1985

WHEREAS, in the opinion of the State Government the following area of special importance in district Mirzapur in Uttar Pradesh needs to be provided in a planned manner ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Special Area Development Authorities Ordinance, 1985 (U.P. Ordinance no. 15 of 1985), the Governor is pleased to declare, with effect from the date of the publication of this notification in the *Gazette* the following areas to be a Special Development Area for the purpose of this Ordinance.

Shaktinagar Special Development Area

Area falling within the limits of Dudhi, Myorepur and Bamni development blocks of Tehsil Dudhi and between the rivers Rihand, and Kanhar in the south of Sone river in Tehsil Robertsganj, in District Mirzapur, but excluding Cantonment area and lands owned, requisitioned or taken on lease by the Central Government for the purpose of any naval, military or air force authority.

By order,
KAMAL PANDE,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 1181 राजपत्र (हि०)—(2856)—1985—1830+125 (मेके०)।

उत्तर प्रदेश सरकार
नगर विकास अनुभाग- 5
सं0 .../11-5-1985-6...डी0...76
लखनऊ: दिनांक नवम्बर ..., 1985

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 1985 (उ0प्र0 अध्यादेश सं0 15 सन् 1985) की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना सं0 ...ए0 /11-5-1985-68डी0ए0/76 दिनांक नवम्बर ..., 1985 के अधीन घोषित शक्तिनगर विशेष विकास क्षेत्र के लिए निम्नलिखित प्राधिकरण गठित करते हैं जो शक्तिनगर विशेष विकास प्राधिकरण कहलायेगा :-

शक्ति नगर विशेष विकास प्राधिकरण

1-	आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी	अध्यक्ष
2-	राज्य सरकार का सचिव जो उस विभाग का भारसाधक हो जिसमें तत्समय विकास प्राधिकरण से संबंधित कार्य निष्पादित होता हो,	पदेन सदस्य
3-	सचिव, राज्य सरकार, वित्त विभाग	" "
4-	सचिव, राज्य सरकार, नियोजन विभाग	" "
5-	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0	" "
6-	अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद	" "
7-	अध्यक्ष, उ0प्र0, जल निगम	" "
8-	जिलाधिकारी, मिर्जापुर	" "

आज्ञा से,

कमल पाण्डे
सचिव ।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-5
संख्या 1028/9आ-5-92-68डीए/76
लखनऊ : दिनांक : मई,1992

अधिसूचना
संशोधन

श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन शक्तिनगर विशेष विकास क्षेत्र की घोषणा विषयक अधिसूचना संख्या 5658/11-5-1985-68डीए/76, दिनांक 2 नवम्बर, 1985 के आंशिक संशोधन में यह घोषणा करते है कि अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित क्षेत्र उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ विशेष विकास क्षेत्र होगा:-

शक्तिनगर विशेष विकास क्षेत्र

सोनभद्र जिले की दुद्धी तहसील के सम्पूर्ण क्षेत्र और रॉबर्ट्सगंज तहसील में सोन नदी के दक्षिण रिहन्द तथा कनहर नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र, जिसमें कैन्टूनमेंट क्षेत्र, नाविक सैनिक या वायुसेना के किसी प्राधिकारी के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या उसके द्वारा अधिग्रहीत या पट्टे पर ली गयी भूमि सम्मिलित नहीं है।

आज्ञा से,

रवीन्द्र शंकर माथुर
प्रमुख सचिव।

संख्या 811/9आ-5-92-68डीए/76 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को उ0प्र0 असाधारण गजट दिनांक मई, 1992 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया मुद्रित अधिसूचना की 50 प्रतियां इस अनुभाग को तथा नीचे अंकित अधिकारियों को उनके सम्मुख अंकित प्रतियां शीघ्र भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एस0के0 बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

(58)

1028

संख्या 123/9-आ-592-68डीए/76 तद्दिनांक

....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

2- जिलाधिकारी, मिर्जापुर/सोनभद्र

3- सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, शक्तिनगर, रेनूकूट।

4- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

एन०के० बनर्जी

(एन०के० बनर्जी)

संयुक्त सचिव।

657
17/10/98

(5)

उत्तर प्रदेश सरकार
पर्यावरण अनुभाग

संख्या- /55 - पर्या - 1998
लखनऊ: दिनांक: 25 सितम्बर, 1998

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-9सन्1986 (की धारा-4 की उपधारा (3 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल शासन द्वारा आसाधारण गजट विधायी परिशिष्ट-भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-5654/11-5-1985-68डी0ए0/76, दिनांक 2 नवम्बर, 1985 के द्वारा गठित शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में क्रियाशील औद्योगिक, खनिकर्म और विद्युत उपक्रमों द्वारा विकास क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नांकित को सदस्य नामित करते है :-

(1)-महाप्रबन्धक, सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन, शक्तिनगर ।

(2)-महाप्रबन्धक, रिहन्द सुपर थर्मल पावर स्टेशन, रिहन्दनगर, (बीजपुर)

(3)-महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्ड लि0, बीना परियोजना ।

(4)-महाप्रबन्धक, सुपर थर्मल पावर, अनपरा ।

Keep on Guard file.

दिलीप कुमार
प्रमुख सचिव ।

संख्या- (1)/55-पर्या-1998, तद्दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना की केवल हिन्दी में आसाधारण सरकारी गजट दिनांक सितम्बर, 1998 के विधायी परिशिष्ट भाग-4खण्ड (ख) में प्रकाशित कराये तथा अधिसूचना की 50 मुद्रित प्रतियां शासन को उपलब्ध कराते हुए 5-5प्रतियां सीधे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों को भेजने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(अमर प्रताप सिंह)
उप सचिव ।

Scanned by CamScanner

संख्या-5430 §1§/55-पर्या-1998, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर ।
2- अध्यक्ष, शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण पिपरी, सोनभद्र
3- जिलाधिकारी, सोनभद्र ।
4- सचिव, शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पिपरी, सोनभद्र
5- निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6- सदस्य सचिव, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।

आज्ञा से,

§अमर प्रताप सिंह§
उप सचिव ।

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश सरकार
पर्यावरण अनुभाग

संख्या-3990/55- पर्या -7(साडा)/ 2000
लखनऊ:: दिनांक:: 14 नवम्बर, 2000

क्रमांक 206 प्राप्ति का दिनांक 21/11/2000 प्राप्तकर्ता हस्ताक्षर

अधिसूचना
संशोधन

शक्तिनगर विशेष विकास क्षेत्र विषयक अधिसूचना संख्या-1026/9-आ0-5-92-68डी0ए0/76, दिनांक07 मई 1992द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना संख्या-3658/11-5-85-68-डी0ए0/76, दिनांक02 नवम्बर, 1992 के क्रम में उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-9 सन्1986)की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित क्षेत्र उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ विशेष विकास क्षेत्र होगा :-

शक्तिनगर विशेष विकास क्षेत्र

सोनभद्र जिले की दुद्धी तहसील के अंतर्गत आने वाला समस्त क्षेत्र और राबर्ट्सगंज तहसील की सोन नदी के दक्षिण में स्थित समस्त क्षेत्र, जिसमें कैन्टोनमेन्ट क्षेत्र, नाविक, सैनिक या वायुसेना के किसी प्राधिकारी के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या उसके द्वारा अधिग्रहीत या पट्टे पर ली गयी भूमि सम्मिलित नह है ।

आज्ञा से,

अरूण कुमार बिट
सचिव ।

संख्या-3990(1)/55-पर्या-7(साडा)/2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- आयुक्त, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर ।
2- जिलाधिकारी/अध्यक्ष, शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण पिपरी सोन
3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
4- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
5- सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
6- मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
7- अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, जल निगम, लखनऊ ।
8- निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, उत्तर प्रदेश ऐशबाग लखनऊ को उक्त अधिसूचन के अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वह इस अधिसूचना को असाधारण सरकारी गजट दिनांक नवम्बर, 2000के विधायी परिशिष्ठ भाग-4खण्ड(ख) में प्रकाशित कराने तथा अधिसूचना की 25 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

Arun Bit

(अरूण कुमार बिट
सचिव ।

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–6
संख्या–सीएम–200 /9–आ–6–2004–03गठन/04
लखनऊ : दिनाँकः 5 अक्टूबर, 2004

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–9 सन् 1986) की धारा–40(1)के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल शासकीय अधिसूचना संख्या–938/9 –आ–5–98–68डीए/76 दिनांक 29जून, 1998 को विखण्डित करते हुए "शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का भारसाधक विभाग, पर्यावरण विभाग के स्थान पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग घोषित करते हैं।

2– तद्नुसार शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण से संबंधित कार्य पर्यावरण विभाग के स्थान पर अब आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

जे.एस.मिश्र
सचिव।

संख्या– सीएम 200(1)/9–आ–6–2004–3गठन/04 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट दिनांक 05 अक्टूबर, 2004 के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–"ख" में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें ।

आज्ञा से

(अजय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

AWAS.U.O (1)

Scanned by CamScanner

शासन प्राथमिकता

संख्या 3402/9-आ-6-2004-03 गठन/2004

क्रमांक 894 SSADA
प्राप्ति का दिनांक 04.11.04
प्राप्तकर्ता हस्ताक्षर

प्रेषक,

जे०एस०मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अध्यक्ष
शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
शक्तिनगर ।

लखनऊ दिनांक 13 अक्टूबर, 2004

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—6

विषयः- शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का प्रशासनिक विभाग आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को बनाया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत ग्राम्य विकास, औद्योगिक विकास, पर्यावरण सुरक्षा और इन्फ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि प्लान, विस्थापित के लिए पुर्नवास तथा सामाजिक व आर्थिक सुधार कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का प्रशासनिक विभाग आवास विभाग के स्थान पर पर्यावरण विभाग को बनाया गया था । इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986 की धारा-40(1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल शासकीय अधिसूचना संख्या सी०एम० 200/9-आ-6-2004-03गठन/2004 दिनांक 5 अक्टूबर, 2004 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का प्रशासनिक विभाग, पर्यावरण विभाग के स्थान पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग होगा । इस विभाग द्वारा जारी किए गये निर्देश और आदेशों का क्रियान्वयन और पालन उक्त प्राधिकरण तथा उसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकेगा ।

संलग्नक यथोपरि

भवदीय

(जे०एस० मिश्र)
सचिव।

वि०वि० लि०

सचिव
04.11.04

संख्या 3402 (1)/9-आ-6-2004-3 गठन/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन ।
2. आयुक्त मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर
3. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
4. सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
5. अध्यक्ष, जल निगम, उत्तर प्रदेश लखनऊ
6. जिलाधिकारी, सोनभद्र ।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
8. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, 2, 3, 4, 5
9. गार्ड-फाइल ।

आज्ञा से

(अजय कुमार सिंह)

अनुसचिव ।

Scanned by CamScanner

रजिस्टर्ड नम्बर—66 (ब)

क्रमांक सं० 520(A) ......
प्राप्ति का दिनांक 06.XII.97
ह० प्राप्तकर्ता ......

रजि. नं. एल. डब्लू./एन. पी. 891
लाइसेन्स नं. डब्लू. पी.—41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 24 फरवरी, 1997

फाल्गुन 5, 1918 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग-1

संख्या-855/9-आ-1-97-27 विविध-96

लखनऊ, 24 फरवरी, 1997

अधिसूचना

प० आ०—593

उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-9 सन् 1986) की धारा-35 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (खनिज सम्बन्धी अधिकार पर उपकर) नियमावली, 1997

संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (खनिज सम्बन्धी अधिकार पर उपकर) नियमावली, 1997 कही जायेगी।

(2) यह शक्तिनगर-विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के विशेष विकास क्षेत्र पर लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2—जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में,—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 से है;

(ख) "खनिज अधिकार" का तात्पर्य खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या–67 सन् 1957) में यथा परिभाषित खनिज (जिसमें कोयला उठाने, प्राप्त करने या निकालने की संक्रिया भी सम्मिलित है) के सम्बन्ध में खनन संक्रिया के लिए दिये गये या नवीकृत किसी खनन पट्टे के अधीन किसी पट्टेदार को प्रदत्त अधिकार से है।

खनिज सम्बन्धी अधिकारों पर उपकर की दरें

3--(1) प्राधिकरण, उपनियम (2) और (3) के अधीन खनिज सम्बन्धी अधिकार पर, ऐसे खनिजों और गौण खनिजों पर, और ऐसी दरों पर, उपकर, जो नीचे विनिर्दिष्ट है, आरोपित कर सकता है :-

खनिज/गौण खनिज	न्यूनतम दर	अधिकतम दर
(1) कोयले पर उपकर	5.00 रुपये (प्रतिटन)	10.00 रुपये (प्रतिटन)
(2) पत्थर/मौरंग/बालू पर उपकर	2.00 रुपये (प्रतिघन मीटर).	5.00 रुपये (प्रतिघन मीटर)

(2) दरें, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम दर से कम या अधिकतम दर से अधिक नहीं होंगी और प्राधिकरण, राज्य सरकार की पुष्टि के अधीन विशेष प्रस्ताव द्वारा इन्हें अवधारित करेगा।

(3) उपकर, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचित किये जाने के दिनांक से उद्ग्रहणीय होगा।

आज्ञा से,
अखण्ड प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 855/IX-Aa-1—97-27 Vividh-96, dated February 24, 1997:

No. 855/IX-Aa-1—97-27 Vividh-96
Dated, Lucknow, February 24, 1997

IN exercise of the powers under section 35 of the Uttar Pradesh Special Area Development Authorities Act, 1986 (Uttar Pradesh Act no. 9 of 1986), the Governor is pleased to make the following rules.

SHAKTINAGAR SPECIAL AREA DEVELOPMENT AUTHORITY (CESS ON MINERAL RIGHTS) RULES, 1997

Short title, application and commencement

1. (1) These rules may called the Shaktinagar Special Area Development Authority (Cess on Mineral Rights) Rules, 1997.

(2) They shall apply to the Special Development Area of Shaktinagar Special Area Development Authority.

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Definitions

2. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject of context.

(*a*) "Act" means the Uttar Pradesh Special Area Development Authorities Act, 1986.

(*b*) "Mineral Rights" means rights conferred on a lessee under a mining lease granted or renewed for mining operations in relation to Minerals (including operation for raising, winning or extracting coal) as defined in the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (Act No. 67 of 1957).

3. (1) The Authority may, subject to sub-rules (2) and (3), impose a Cess on mineral rights on such minerals and minor minerals and at such rates as are specified below :— *Rates of cess on mineral rights*

MINERAL/MINER MINERAL	MINIMUM RATE	MAXIMUM RATE
(1) Cess on Coal	Rs. 5.00 (Per ton)	Rs. 10.00 (Per ton)
(2) Cess on Stone, Course Sand/Sand	Rs. 2.00 (Per Cubic metre)	Rs. 5.00 (Per Cubic metre)

(2) The rates shall not be less than the minimum rates or more than the maximum rates specified in sub-rule (1) and shall be determined by the Authority by a special resolution which shall be subject to confirmation by the State Government.

(3) The cess shall be leviable with effect from the date notified by the State Government in the *Gazette* in this behalf.

By order,
A. P. SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 455 राजपत्र (हि०)-(1006)--1997--597+100 (मेक०)।

Scanned by CamScanner